ग्राम पंचायत झलाण, विकास खण्ड नदौन, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश - 177301 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि: 01.04.15 से 31.03.2018

भाग- एक

1. प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत झलाण, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 के लेखाओं का अंकेक्षण, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:

प्रधान:

क्र॰ सं	नाम	अवधि
1	श्री अवतार सिंह	01/04/2015 से 22/01/2016
2	श्री सरवन सिंह	23/01/2016 से लगातार।

सचिव:

क्र॰ सं	नाम	अवधि
1	श्री जोगराज	06/04/2015 से 20/05/2015
2	श्री नरेश कुमार	20/05/2015 से 01/07/2016
3	श्री सुनील दत्त	03/07/2016 से 12/09/2016
4	श्री राजेश कुमार	12/09/2016 से 24/12/2016
5	श्री शिवराज	24/12/2016 से लगातार।

(ख)गम्भीर अनियमितताओं का सार:

ग्राम पंचायत झलाण विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के लेखाओं अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	पैरासं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में) ₹
1	7	अनुदान का उपयोग न करना।	14.65
2	8	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष राशि।	0.18
3	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	0.85

भाग- दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत झलाण, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) तथा श्री विद्या सागर, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 29-05-2018 से 01-06-2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

अवधि	आय	व्यय
2015-16	08/2015	01/2016
2016-17	03/2017	02/2017
2017-18	03/2018	05/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:

ग्राम पंचायत झलाण, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **"निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009"**को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 138/2018 दिनांक 01/06/2018 के द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत झलाण से अनुरोध किया गया I

4. वितीयस्थिति:

ग्राम पंचायत झलाण, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

(1) स्वस्त्रौत:

ग्राम पंचायत झलाण, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट–1** के अनुसार निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	अथशेष ₹	प्राप्ति ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2015-16	1918	22643	24561	3659	20902
2016-17	20902	26319	47221	24014	23207
2017-18	23207	27084	50291	8987	41304

(2) अनुदान:

1 ग्राम पंचायत झलाण, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण **परिशिष्ट–1** के अनुसार निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	अथशेष ₹	प्राप्ति ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2015-16	127611	1455486	1583097	1250424	332673
2016-17	332673	1773093	2105766	1049197	1056569
2017-18	1056569	1633072	2689641	1224423	1465218

2 ग्राम पंचायत द्वारा अवधि 01.04.15 से 31.3.18 तक की मनरेगा रोकड़ वही जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। परन्तु वित्तीय स्थिति के लिए मनरेगा से संबंधित आय-व्यय की राशि मनरेगा FTO से ली गयी। अत: रोकड़ बही प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा रोकड़ बही आवश्यक जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई जाए।

5. बैंक समाधान विवरणी:

स्व स्त्रौत:

दिनांक 31.03.2018 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष: ₹ 41304

अनुदान:

दिनांक 31.03.2018 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष: ₹ 1465218

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में
दिनांक 31.03.2018 को अन्तिम शेष: ₹ 1506522

दिनांक 31.03.2018 को बैंक खातों में अन्तिम शेष: **₹1506172**

दिनांक 31.03.2018 को हस्तगत राशि : ₹ **350**

कुल योग: ₹1506522

अन्तर की राशि: ₹ 0

क्रमांक संख्या	रोकड़ बही	बैंक	बैंक खाता संख्या:	राशि (₹)
1	GEN-A	KCCB	5040420	40954
2	GCB-B	KCCB	5004005	71675
3	14th FC	PNB	0963301	892445
4	14th FC	HDFC	3793560	501098
		कुल राशि		**1506172**

6. **निवेश:**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियो में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में अधिक मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7. **अनुदान ₹14.65 लाख का उपयोग न करना:-**

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31-03-18 तक अनुदान ₹1465218 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

8. **पंचायत राजस्व ₹0.18 लाख वसूली हेतु शेष:**

अंकेक्षण में पंचायत की स्वस्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दिनांक 31/03/18 को गृहकर के रूप में वसूली हेतु ₹17560 शेष थी जोकि आपत्तिजनक है। अतः राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर नियमित रूप से करनी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(1) गृहकर

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की मांग (₹)	योग(₹)	प्राप्ति(₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2015-16	0	9625	9625	9625	0
2016-17	0	20995	20995	14565	6430
2017-18	6430	21620	28050	10490	17560

(2) भू-राजस्व

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत को अंकेक्षण अवधि के दौरान भू-राजस्व (Local Rate) की राशि प्राप्त नहीं हुई और न ही भू-राजस्व को प्राप्त करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई व प्रयास किया गया जोकि आपत्तिजनक है जिसका औचित्य स्पष्ट करें। अतः अब बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9. विवाह पंजीकरण शुल्क ₹800 की कम वसूली:-

सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या: PCH-HA(1) 8/2013-Marriage 8017-8106 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण शुल्क ₹200 (बी.पी.एल.परिवार ₹25/-) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण शुल्क ₹400/- (बी.पी.एल.परिवार ₹50/-) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है। अंकेक्षण में पाया कि निम्न विवरणानुसार ₹800 का विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल नहीं किया गया था जोकिआपत्तिजनक है जिसका औचित्य स्पष्ट करें तथा इस राशि को अब नियमानुसार उचित स्त्रोत से वसूल करके पंचायत निधि खाते में जमा करना सुनिश्चित करें तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्रमांक संख्या:	विवाह पंजीकरण रजिस्टर क्रमांक संख्या:	शादी की दिनांक	पंजीकरण की दिनांक	पंजीकरण राशि (₹)
1	8/2016	19/10/16	22/10/16	200

2	9/2016	10/10/16	26/10/16	200
3	10/2016	10/10/16	26/10/16	200
4	11/2016	1/11/16	19/11/16	200
कम वसूली गई राशि				**800**

10. बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। मगर अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

11. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.85 लाख स्टॉक /स्टोर का क्रय करना:

अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹84520/- के स्टॉक /स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है I अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र. स.	वाउचर संख्या	मास	सामग्री का विवरण	राशि ₹
1	19(14th FC)	05/17	रेत 550 cft.@ ₹24/	13200
			बजरी 1150 cft. @ ₹14/-	16100
2	20(14th FC))	05/17	पत्थर 460 cft. @ ₹22/-	10120
3	21(14th FC)	05/17	ट्राली भाड़ा	45100
		कुलराशि		**84520**

12 मनरेगा मस्ट्रोल प्रधान द्वारा सत्यापित न करना :---

मनरेगा भुगतान वोउचरों की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित मस्ट्रोल पर प्रधान द्वारा भुगतान आदेश पारित नहीं किए गये थे I अत: इन मस्ट्रोल पर प्रधान से भुगतान आदेश पारित न करवाने का औचित्य नियमानुसार स्पष्ट किया जाए तथा ग्राम पंचायत प्रधान से भुगतान आदेश पारित करवाकर अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

मस्टरोल संख्या	मापन पुस्तिका संख्या व पृष्ठ संख्या	राशि (₹)
1291&1292	7251 page 75	7502
2228	7251 page 97	11011
2831	9186 page 1 to 3	17010
2274	7251 page 95 to 96	10465
2459	7251 page 97	5184
2770	7251 page 98	2916
2833	7251 page 100	14496

13 प्राप्त अनुदान की रसीदें जारी न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 5(1 से 3) के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय / अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गये प्रारूप -3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है| परन्तु

ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेषकर आर० टी० जी० एस०/ ऑनलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है| इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए|

14 मस्ट्रोल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवलेहना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 102(1 से 7) के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी द्वारा मुद्रित तथा प्रमाणित मस्ट्रोल ही पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी को किसी विकास/निर्माण कार्य में मजदूरों की हाजिरी लगाने के लिए "मस्टरोल जारी करने के रजिस्टर " में प्रविष्टी के उपरान्त जारी किये जाएँगे | इन्हीं नियमों में प्रावधित है कि इन मस्ट्रोल का अभिलेखन व अनुरक्षण हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की कार्य पद्धति के आधार पर किया जाएगा | परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किये गये मस्ट्रोल की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना आंशिक रूप में ही की गई है| मुख्य रूप से इन मस्ट्रोल में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई:-

1. श्रम कानूनों के अंतर्गत प्रावधान है कि प्रत्येक श्रमिक को छ: दिन लगातार काम करने के पश्चात सातवें दिन वैतनिक अवकाश (PAID HOLIDAY) दिया जाएगा परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गयी तथा विशेषकर मनरेगा योजना के अंतर्गत करवाए गये विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जारी मस्ट्रोल में मजदूरों द्वारा लगातार छः दिन से अधिक कार्य किये जाने के वाबजूद भी उन्हें वैतनिक अवकाश (PAID HOLIDAY) नहीं दिया गया जो कि नियमों की अवहेलना है।

2. मस्ट्रोल के भाग -3 जिसमें मजदूरों द्वारा किये गये कार्य का विस्तृत विवरण दिया जाता है को पंचायत द्वारा ख़ाली रखा गया जिस कारण मस्ट्रोल में किये गये कार्य तथा उसके विरुद्ध किये गये भुगतान की तकनीकी प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित किया जाना सम्भव नहीं हो सका |

3. प्रयोग किये गये मस्ट्रोल में मात्र कार्य का शीर्षक दर्ज किया गया है| मस्ट्रोल पर रखे गये मजदूरों से सम्बन्धित विकास/ निर्माण कार्य में क्या अथवा किस प्रकार का कार्य करवाया गया है का विस्तृत विवरण सम्बन्धित कॉलम में दर्ज नहीं किया गया है|

4. मस्ट्रोल को कनिष्ठ अभियंता / तकनीकी सहायक द्वारा किये गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया है जिस कारण भुगतान की गयी राशि को किये गये कार्य की प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका|

5. मस्ट्रोल में कुछ कॉलमों को छोड़कर लगभग सभी प्रावधित कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं।

इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना तथा अनियमित भुगतान करना एक अति गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए|

15 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:-

ग्राम पंचायत के लेखाओं की वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल / वाउचरों तथा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्य अभिलेख की अंकेक्षण जांच उपरान्त निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वोउचरों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई :-

1. ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जोकि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के "**परिशिष्ट – ई "** में दिए गये अनुबंध प्रारूप के अनुसार अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी I परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है I

2. बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेवार पंचायत पदाधिकारी / कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है जिस के कारण किये गए भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती हैI इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएI इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों में कनिष्ठ अभियन्ता / तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य का तकनीकी विवरण भी दर्ज नहीं किया गया है I

3. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 103(4) की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिस

कारण पंचायत द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों की जांच में कठिनाई आई हैI इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएI

4. तकनीकी सहायक द्वारा किसी भी निर्माण कार्य की पूर्णता की दिनांक तथा पूर्णता सम्बन्धी प्रमाणपत्र न तो मापन पुस्तिका में तथा न ही निर्माण कार्यों के रजिस्टर में दर्ज किये गए हैं I अभिलेख का यह अधूरा अनुरक्षण न केवल कार्यशैली की उदासीनता को प्रकट करता है बल्कि नियमविरुद्ध होने के कारण अनियमित भी है I

5. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 104(2)(1) में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किये गए कार्य की जाँच सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेख में ऐसी किसी भी जाँच के प्रमाण अथवा प्रमाण पत्र नहीं पाए गए हैं। यह स्पष्टतया सिद्ध करता है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों सम्बन्धित प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्य प्रणाली में संदिग्धता दिखाई देती है। इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से नियमविरुद्ध किये गए अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्च अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाकर भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।

16 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना:

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं| चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता | इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है|

17 ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ASSET रजिस्टर का रख रखाव न करना:

ग्राम पंचायत द्वारा प्रारूप 8 पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम हिमाचल प्रदेश परिसम्पत्ति (अस्ति)रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया है जिसका शीघ्र रख रखाव करना सुनिश्चित किया जाए|

18 मस्ट्रोल का सहभागी समिति तथा सतर्कता समिति से सत्यापन न करवाना:

पंचायत द्वारा लाखौं रुपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गये तथा उन्हें मस्ट्रोल पर भुगतान किया गया परन्तु हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार इन कार्यों के मस्ट्रोल का सहभागी समिति तथा सतर्कता समिति से नियमानुसार सत्यापन नहीं करवाया गया। अत: उक्त के अभाव में भुगतान का ओचित्य स्पष्ट किया जाए।

19 फॉर्म 34 तैयार न करना तथा जाँच हेतु उपलब्ध न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 19(3), 27(3), 97(5) तथा 105(5) की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा करवाए गये निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मदों की मात्रा तथा राशि एवं भुगतान की गयी मजदूरी का विवरण फॉर्म 34 पर तैयार नहीं किया गया जिसके अभाव में निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मात्रा तथा भुगतान की गयी मजदूरी की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: ग्राम पंचायत द्वारा करवाए गये निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मदों की मात्रा तथा राशि एवं भुगतान की गयी मजदूरी का विवरण फॉर्म 34 पर शीघ्र तैयार करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 बिना भुगतान आदेश के बिलों का भुगतान करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नही किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है और सभी बिलों को केवल पंचायत प्रधान के हस्ताक्षरों से ही पारित किया गया है न कि उपरोक्त नियमानुसार प्रधान तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से पारित किया गया। इस के अतिरिक्त अधिकतर बिलों का भुगतान बिना भुगतान आदेश पारित किए ही किया गया है। अतः उपरोक्त नियम के अनुसार कारवाई नहीं करने का उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इस में सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

21 क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का अधूरा रख रखावः-

सरकार द्वारा खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई मदों के रूप मे अलग-अलग स्टॉक रजिस्टरों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पृष्ठ पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक मद की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तिकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण रजिस्टरों में लिखा जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत द्वारा स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव तो किया जा रहा है परन्तु उसमें सम्पूर्ण विवरण जैसे सामग्री का मूल्य, आपूर्तिकर्ता का नाम व पता, मद की मात्रा तथा उस से सम्बन्धित गारन्टी इत्यादि को दर्ज नहीं किया जाता है। सामग्री की शेष मात्रा का प्रगतिशील योग भी नहीं किया गया है। अतः भविष्य हेतु तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग-अलग स्थाई व अस्थाई स्टाक रजिस्टर लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग-अलग पृष्ठ आबंटित करके अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय की गई समस्त मदों की प्रविष्टियाँ नियमानुसार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेष सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके। तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

22 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव
4. अग्रिम रजिस्टर
5. रसीद बुकों के इन्द्राज का भण्डार रजिस्टर
6. वर्गीकृत सार।

23 प्रत्यक्ष सत्यापनः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

24 लघु आपति विवरणिका:- संस्था को लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

25 निष्कर्ष:- संस्था के लेखाओं के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)58/2018 खण्ड–1–6390–6393 दिनांक–28.09.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचाय झलाण, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर हि0प्र0।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

फोन नं0 0177—2620046